चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार कटियार तथा उनके हमराही को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र रामा सोनकर निवासी सीपीएस स्कूल के पास कस्वा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र करीब 22 वर्ष को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर

02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार कटियार

2.आरक्षी अखिलेश यादव

3.आरक्षी जयश यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 08 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(i). उ0नि0 श्री अनन्त कुमार तिवारी,उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह आरक्षी अनिल यादव व आरक्षी चालक देवेन्द्र कुमार थाना सरधुवा द्वारा मु0नं0 29/2019 अ0स0 461/2017 धारा 147,352,504,506,427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.विजय पाल यादव पुत्र चुक्का यादव उम्र करीब 58 वर्ष 2.उमेश यादव पुत्र केशन पाल निवासीगण ग्राम औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री दशरथ सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार,महिला आरक्षी स्नेहा मौर्या थाना मारकुण्डी द्वारा मु0नं0 414/2021 अ0स0 31/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्ता केशकली पत्नी लाला मवइया निवासी मनगवां थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय मय हमराह आरक्षी मोनू राय थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0नं0 193/2021 अ0स0 43/2021 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट व मु0नं0 18/2021 मु0अ0सं0 44/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त सम्पत उर्फ शिवसम्पत मवासी पुत्र श्याम मवासी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी पुराना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री रामप्रीत सिंह,उ0नि0 अखिलेश सिंह यादव मय हमराह आरक्षी सचिन यादव,आरक्षी अक्षय मौर्या व आरक्षी बब्बू राजा थाना रैपुरा द्वारा मु0अ0स0 75/2019 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त केदार पुत्र बड़कू निवासी खजुरिहा कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह मय हमराह आरक्षी दुर्गेश नन्दन पटेल व आरक्षी नीतू द्विवेदी थाना मऊ द्वारा मु0अ0स0 26/2019 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त छोटा पुत्र शंकर केवट उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम सिलौटा मजरा कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह मय हमराह आरक्षी दुर्गेश नन्दन पटेल,आरक्षी नीतू द्विवेदी व आरक्षी अभिषेक पेटल थाना मऊ द्वारा मु0नं0 69/2020 मु0अ0स0 127/2019 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.धर्मनारायण उर्फ लाल पुत्र सीताराम त्रिपाठी उम्र करीब 24 वर्ष 2.ओमनारायण उर्फ बचऊ पुत्र सीताराम त्रिपाठी उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।